भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2008

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

एससीएम और अमृत योजना का कार्यान्वयन

†2008. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नगर निकाय जनसंख्या के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से साधन सम्पन्न हैं और यदि हां, तो उपलब्ध वित्तीय और तकनीकी संसाधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी स्थानीय शासन क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और शहरी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) क्या पलायन के कारण अनौपचारिक बस्तियों और मलिन बस्तियों में विस्तार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और शहरी गरीब आबादी को किफायती आवास और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि अनुमानों के साथ शहरी नियोजन को एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सतत और समावेशी शहर विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई गई हैं; और

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से शहरी अवसंरचना संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरों में लचीली अवसंरचना और आपदा तैयारी के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची - सूची II की प्रविष्टि 5 के अनुसार, स्थानीय सरकार, अर्थात् स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनार्थ नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन सैटेलमेंट प्राधिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियां राज्य का विषय है।भारत सरकार कार्यक्रमगत सहायता, नीतिगत सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है, ताकि शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

सरकार ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरी सेवाओं की बढ़ती मांग से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।पंद्रहवें वित्त आयोग की अवॉर्ड अवधि (2021-26) के दौरान, 28 राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को लगभग ₹94,000 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के फ्रेमवर्क में निष्पादन-आधारित अनुदान जारी करके प्रमुख नगरपालिका वित्त एवं शासन सुधारों को अपनाने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रोत्साहित किया गया है। परिणामस्वरूप, 23 राज्यों ने संपत्ति कर की फ्लोर दरों को अधिसूचित या संशोधित किया था, जबकि 3,866 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुदानों का दावा करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि दर के बराबर संपत्ति कर संग्रह में वार्षिक वृद्धि करने की पात्रता संबंधी आवश्यकता को पूरा कर लिया । आयोग ने लेखापरीक्षित लेखाओं के समय पर प्रकाशन, मानकीकृत नगरपालिका वित्तीय रिपोर्टिंग, एसएलबी के प्रकटीकरण और सिटी फाइनेंस पोर्टल के माध्यम से अनुदानों की डिजिटल निगरानी को भी बढ़ावा दिया, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हुआ है ।

(ख):अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों और कस्बों में शुरू किया गया था, जो चयनित शहरों और कस्बों में, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; और पार्क और हरित क्षेत्रों आदि जैसे क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। इसके कवरेज का विस्तार करने के लिए अमृत 2.0 को शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में सभी यूएलबी/शहरों में शुरू किया गया। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। जल निकाय पुनरुद्धार और हरित स्थान और पार्क अमृत 2.0 के अन्य घटक हैं। मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ₹83,491.77 करोड़ रुपए की 6,007 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें ₹43,372.06 करोड़ रुपए की 1,411 जल आपूर्ति परियोजनाएं, ₹34,471.71 करोड़ रुपए की 888 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, ₹3,022.39 करोड़ रुपए की 838 वर्षा जल निकासी परियोजनाएं तथा ₹1,604.13 करोड़ रुपए की 2,522 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य जल कार्य योजनाएं, जिनमें ₹1,97,191.86 करोड़ रुपए की 8,777 परियोजनाएं शामिल हैं, अनुमोदित की गई हैं, जिसमें ₹1,18,968.38 करोड़ रुपए की 3,572 जल आपूर्ति परियोजनाएं, ₹71,133.01 करोड़ रुपए की 605 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, ₹6,003.34 करोड़ रुपए की 2,951 जल निकाय पुनरुद्धार परियोजनाएं तथा ₹1,087.12 करोड़ रुपए की 1,649 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत /अमृत 2.0 के माध्यम से तथा राज्यों के साथ समन्वय से, शहरी क्षेत्रों में लगभग 270 लाख जल नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, 1.12 लाख किलोमीटर जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है तथा 5,611 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता विकसित की गई है। सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में, अमृत शहरों में लगभग 197 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें अपशिष्ट एवं सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के माध्यम से कवर किए गए परिवार भी शामिल हैं) उपलब्ध कराए गए हैं, 28,589 किलोमीटर सीवर नेटवर्क

बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है तथा 6,017 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गई है।

नीति आयोग ने सितंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक 'पैकेज 4 - शहरी परिवर्तन और कौशल विकास में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन' है, में उल्लेख किया है कि अमृत मिशनों ने भारतीय शहरों में सेवा प्रदायगी, संस्थागत क्षमता और नागरिक कल्याण में स्पष्ट एवं सतत सुधार लाने में योगदान दिया है। इस मिशन के दीर्घकालिक प्रभाव बेहतर शासन संस्कृति, महिलाओं के सशक्तिकरण और शहरी सेवाओं में कमियों से निपटने की क्षमता के रूप में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) का उद्देश्य रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, ग्रीनफील्ड विकास और पैन-सिटी पहल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाना था, जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को कवर करते हुए स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया गया, ताकि एक अनुकरणीय मॉडल तैयार किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत शहरों का विकास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (एससीपी) के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों यथा स्मार्ट मोबिलिटी, जल स्वच्छता एवं साफ-सफाई, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट ऊर्जा, पर्यावरण आदि में किया गया, जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

नीति आयोग ने मूल्यांकन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि स्मार्ट सिटी मिशन राष्ट्रीय शहरी प्राथमिकताओं और नागरिकों की आवश्यकताओं के साथ मजबूत सामंजस्य स्थापित करता है तथा संयुक्त राष्ट्र के अनेक सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, मिशन ने 8,063 परियोजनाओं में से 93% की उच्च परियोजना पूर्णता दर प्राप्त की है तथा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (आईसीसीसी) का 100% कार्य पूरा किया है, जिससे शहरी जीवन-यापन, गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय परिणामों में स्पष्ट सुधार हुआ है।

(ग) 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत देशभर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवासो के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान

करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना में बदलाव किया है तथा देशभर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों यथा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराये पर लेने हेतु सहायता प्रदान करना है।

पी एम ए वाई - यू और पी एम ए वाई - यू 2.0 मांग आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा वरीयता दिए गए विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन तथा पात्र लाभार्थियों को पूर्ण हो चुके आवासों का आवंटन सहित ये कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

आवासों की किफायती दरों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अंशदान अनिवार्य है। न्यूनतम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंशदान के अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप अंशदान भी प्रदान कर सकती हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 शहरी क्षेत्रों में आवास स्टॉक को किफायती बनाने के लिए उपयुक्त विनियामक, वित्तीय और संस्थागत उपायों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु 'किफायती आवास नीतियों' के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) जल, स्वच्छता, भूमि और कालोनीकरण राज्य के विषय हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन ,शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की ज़िम्मेदारी है। भारत सरकार योजनागत हस्तक्षेपों/परामार्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। यह विभिन्न योजनाओं/मिशनों यथा

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)/अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई-यू)/पीएमएवाई-यू 2.0, मेट्रो रेल/क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस), अर्बन चैलेंज फंड आदि के माध्यम से शहरों/कस्बों के सतत एवं समावेशी विकास के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/मिशनों के अंतर्गत जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन तथा अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरों/कस्बों के भविष्य में अनुमानित विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशा-निर्देश, 2014 जारी किए हैं।

https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/1813403503fbec280e7648c0ae692512.pdf

यूआरडीपीएफआई दिशा-निर्देश, 2014 का अध्याय-6 “सतत विकास संबंधी दिशा-निर्देश” सतत विकास से संबंधित है।
